

## सार्वजनिक ऋण के प्रकार (kinds of public debt)

सार्वजनिक ऋण को कई आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है, जिनमें से मुख्य निम्नलिखित हैं:-

1. स्रोत (Sources) - इस आधार पर सार्वजनिक ऋण आंतरिक/घरेलू (internal/domestic) तथा विदेशी (external/foreign) हो सकता है। आंतरिक ऋण वह है जिसमें ऋणदाता देश के ही निवासी हैं। व्यावहारिकता के दृष्टिकोण से देश के भीतर से लिए गए सभी उधार घरेलू ऋण के वर्ग में रख दिए जाते हैं। इसके विपरीत जब सरकार देश के बाहर से ऋण लेती है तो यह विदेशी ऋण कहलाता है।

2. कालावधि (Maturity) - कालावधि के आधार पर सरकारी ऋणों को दीर्घकालीन/दीर्घावधिक तथा अल्पकालीन/अल्पावधिक वर्गों में बाँटा जाता है। परंतु इन दो वर्गों की विभाजन रेखा के चुनाव का कोई ठोस सैद्धांतिक आधार नहीं है। सरकार अपनी सुविधानुसार इस रेखा का चुनाव कर लेती है। भारत सरकार एक वर्ष से कम अवधि वाले ऋण को अल्पकालीन मानती है। इस आधार पर एक वर्ष अथवा इससे अधिक प्रारंभिक (अर्थात् ऋण लेते समय की) कालावधि वाले ऋणों को बाजार उधार, स्थाई ऋण, निधिकृत उधार (market loans, permanent loans, funded loans) आदि की संज्ञा देती है। ऐसी सामान्य स्थितियों में इस प्रकार के उधारों की प्रारंभिक कालावधि 3-30 वर्षों तक की होती है। दीर्घकालीन उधारों में कुछ ऐसी भी हो

4.7.20

सकते हैं। जिनके मूल धन को कमी भी उठा करने की कानूनी मनाही है अथवा जिनके मूलधन का कमी भी भुगतान न करना सरकार का कानूनी अधिकार है। इन उद्यारों पर केवल समयानुसार एक पूर्वनिश्चित ह्याज की अवयगी ही की जाती है। ऐसे उद्यारों को शाश्वत ऋण (perpetuities) कहते हैं।

3. प्रयुक्ति (Use) - सार्वजनिक ऋणों को उनकी प्रयुक्ति के आधार पर भी वर्गीकृत किए जाने की प्रथा है। जब उद्यार ली गई राशियों की विकासोन्मुख मर्यादों पर व्यय किया जाए, तो इन्हें विकासात्मक (developmental) ऋण कहते हैं। इसी प्रकार गैर-विकासात्मक ऋण (non-developmental), अथवा उपभोग ऋण (consumption loans) आदि के वर्ग भी गिनवाए जा सकते हैं। एक ध्यानयोग्य बात यह है कि इस प्रकार के किसी भी वर्ग की परिमाणा का कोई सर्वमान्य वैज्ञानिक आधार नहीं है। इसका चुनाव सरकार अपने विवेक और नीतिगत उद्देश्यों के आधार पर करती है।

4. परिणाम (Effects): - सार्वजनिक ऋण को एक अन्य प्रयानुसार 'उत्पादक' (productive) तथा 'गैर-उत्पादक' (non-productive) वर्गों में बाँटा जाता है परंतु इस वर्गीकरण की सैद्धांतिक-आधार कसौटी भी अति अस्पष्ट है क्योंकि उत्पादित राहद के कई अर्थ लगाए जा सकते हैं। सामान्यतौर पर उस ऋण को उत्पादक ऋण कहा जा सकता है जिससे अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता में

वदीतरी ही। एक अन्य अर्थानुसार यदि सरकार की  
ऋण के उपयोग से किसी प्रकार की राजस्व  
प्राप्ति होती हो तो यह ऋण उत्पादक कहलाना  
चाहिए। एक अन्य मतानुसार यदि विचारणीय ऋण  
राशि से वित्त-पोषित प्रयोजना/उद्यम से लाभ-आय  
की प्राप्ति हो तो यह ऋण उत्पादक माना जाना चाहिए।